"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 493] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 3 सितम्बर 2026 — भाद्र 12, शक 1948

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-503/37/2026-FOOD.—विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2009 का सं. 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भारत सरकार के परामर्श उपरांत, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (4) के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"11. **बांट एवं माप के विनिर्माता , सुधारक तथा विक्रेता का पंजीयन**.-(1) बांट या माप के प्रत्येक विनिर्माता, सुधारक अथवा विक्रेता, पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान अथवा इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसीअन्य अधिकारी को विभागीय पोर्टल के माध्यम से स्व-घोषणा प्रस्तुत करने पर, ऑनलाइन पंजीयन करेगा:

परंतु यह कि, अपने द्वारा विनिर्मित तथा उस राज्य में, जिसमें ऐसे बांट या माप का विनिर्माण किया गया था, से भिन्न किसी अन्य राज्य में उपयोग किए जा रहे बांट या माप की मरम्मत हेतु किसी विनिर्माता को सुधार पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, यदि ऐसे मरम्मत की पूर्व सूचना, विनिर्माता ने संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को दे दी है।

(2) अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट उपयुक्त प्रपत्र में विनिर्माता, सुधारक अथवा विक्रेता को जारी किया जाने वाला पंजीयन प्रमाणपत्र, बिना किसी पूर्व निरीक्षण के स्व-घोषणा के आधार पर जारी किया जायेगा।

(3) पंजीयन प्रमाणपत्र अथवा उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु देय शुल्क, अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(4) विनिर्माता, सुधारक तथा विक्रेता पंजीयन प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदन, विभागीय पोर्टल के माध्यम से स्व-घोषणा के आधार पर ऑनलाइन करेगा।

(5) नियंत्रक अथवा उसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अन्य अधिकारी पंजीकृत विनिर्माताओं, विक्रेताओं एवं सुधारकों का अभिलेख/ डेटाबेस ऑनलाइन संधारित करेगा।

(6) इस अधिनियम, इन नियमो के अनुसरण में, प्रत्येक पंजीकृत विनिर्माता, सुधारक या विक्रेता ऐसी कार्यशाला, उपकरण, औजार, पंजी एवं अन्य सुविधाएँ, जैसी उपयुक्त हो, पंजीयन की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार संधारित करेंगे।

(7) इस अधिनियम के अधीन जारी प्रत्येक पंजीयन प्रमाणपत्र को उस परिसर में जहाँ व्यवसाय संचालित किया जाता है, पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(8) इस अधिनियम के अधीन जारी पंजीयन प्रमाणपत्र न तो विक्रय योग्य होगा न ही हस्तांतरणीय होगा ।

(9) बांट या माप के सुधारक के पंजीयन के आवेदक हेतु अपेक्षित अहर्ताएं एवं अनुभव, नियंत्रक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

(10) प्रत्येक विनिर्माता, सुधारक अथवा विक्रेता, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत सभी उपबंधों का पालन करेंगे।

(11) इन नियमों के अधीन किसी विनिर्माता, सुधारक अथवा विक्रेता को प्रदान किया गया पंजीयन प्रमाणपत्र, स्थायी रूप से वैध रहेगा, जब तक कि उसे अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निरस्त न कर दिया जाए तथा ऐसे नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।"

2. नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"12. **पंजीयन प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण**.- (1) जहाँ नियंत्रक या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अन्य अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण है कि-

(क) किसी पंजीयन प्रमाणपत्र या उसके संशोधन से संबंधित किसी आवेदन में कोई ऐसा कथन असत्य या भ्रामक है; या

(ख) इस अधिनियम के उपबंधो, इन नियमों या उसके अंतर्गत जारी आदेश का उल्लंघन किया गया है,

तो वह ऐसे प्रमाणपत्र धारक के विरुद्ध जांच पूर्ण होने के उपरांत, उस पंजीयन प्रमाणपत्र को निरस्त कर सकेगा:

परंतु यह कि किसी भी पंजीयन प्रमाणपत्र को निरस्त तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उसके धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये।

(2) जहाँ नियंत्रक या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी पंजीकृत विनिर्माता, सुधारक अथवा विक्रेता ने इस अधिनियम, इन नियमों या उनके अधीन निर्मित आदेशों के किन्हीं का उल्लंघन किया है तो वह ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, ऐसा पंजीयन निरस्त कर सकेगा:

परंतु यह कि किसी भी पंजीयन प्रमाणपत्र को निरस्त तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उसके धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाये।

(3) प्रत्येक पंजीकृत विनिर्माता, सुधारक अथवा विक्रेता, जिसका पंजीयन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया गया हो, ऐसे पंजीयन के अंतर्गत अधिकृत कार्य बंद कर देगा तथा ऐसा व्यापार पुन: प्रारम्भ नहीं करेगा। पंजीयन निरस्तीकरण की तारीख पर उसके आधिपत्य, कब्जे अथवा नियंत्रण में रखे बांट या माप का व्ययन, नियंत्रक द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये।

(4) कोई भी व्यक्ति, जिसका पंजीयन विनिर्माता, सुधारक अथवा विक्रेता के रूप में निरस्त कर दिया गया है तो ऐसे निरस्तीकरण के पश्चात्, एक से अधिक बार पुनः पंजीयन का पात्र नहीं रह जायेगा।"

3. नियम 13 में, शब्द "अनुज्ञप्ति" के स्थान पर, शब्द "पंजीयन" प्रतिस्थापित किया जाये।

4. नियम 15 के उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(6) विधिक माप विज्ञान अधिकारी, नियम में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान यथासंभव जितनी बार हो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्येक परिसर में किसी बांट या माप का, जो किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता हो या उपयोग में लाये जाने के लिये आशयित या संभव हो, जाकर निरीक्षण व जाँच कर सकेगा।"

5. नियम 15 के उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"(8) विभिन्न प्रकार के बांट एवं माप उपकरणों के सत्यापन एवं मुद्रांकन हेतु सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान द्वारा समय-समय पर, विहित प्रावधानों तथा ऐसे उपकरणों के जोखिम वर्गीकरण के आधार पर किया जाएगा। नियंत्रक, ऐसी शर्तों, नियमों एवं अर्हताओं के अधीन, जो विनिर्दिष्ट की जाएँ, किसी शासकीय अभिकरण, मान्यता प्राप्त संस्था, अर्हताधारी व्यक्ति अथवा अन्य तृतीय पक्ष इकाई को ऐसे सत्यापन एवं मुद्रांकन का कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(9) जहाँ कोई आवेदक सत्यापन की वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व, युक्तियुक्त अवधि के भीतर पुनः सत्यापन हेतु आवेदन करता है, वहाँ पुनः सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक संबंधित बांट या माप का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जा सकेगी।"

6. नियम 17 के उप-नियम (2) में, शब्द ''किया जायेगा'' के स्थान पर, शब्द "किया जा सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाये ।

7. नियम 17 के उप-नियम (3) में, शब्द ''देय होगा'' के स्थान पर, शब्द "अधिरोपित किया जा सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाये ।

8. नियम 25 में, अंक "5000.00" के स्थान पर, शब्द "एक लाख" प्रतिस्थापित किया जाये।

9. नियम 27 के उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"(3) सुधार सूचना एवं शमन सूचना.- अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (6) के अनुसार नियंत्रक अथवा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा अनुसूची-बारह में विनिर्दिष्ट प्ररूप में सुधार सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जाएगी:

परन्तु जहाँ कोई व्यक्ति, अधिनियम या इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में जारी सुधार सूचना का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को जारी अपराध हेतु नियंत्रक अथवा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा अनुसूची-तेरह में विनिर्दिष्ट प्ररूप में शमन सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जाएगी।"

10. अनुसूची-एक के सारणी के सरल क्रमांक 26 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"27.	एल.पी.जी.	वजन या आयतन
28.	सी.एन.जी.	वजन
29.	द्रवीकृत नाइट्रोजन	वजन या आयतन
30.	एल.एन.जी.	वजन
31.	नमकीन (स्वादयुक्त नमकीन)	वजन
32.	स्टील ,आयरन और मेटल गुड्स	वजन (आवश्यक होने पर आयाम सहित)
33.	टेक्सटाइल्स उत्पाद	वजन या लम्बाई"

11. अनुसूची-दो ''क" और अनुसूची-दो ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''अनुसूची-दो

(नियम 11(2) देखिए)

प्ररूप LMR-1

छत्तीसगढ़ शासन

कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

विनिर्माता के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीयन क्रमांक.................................... वर्ष..................................

1. नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, एतद्द्वारा, ...को (पक्षकार या पक्षकारों के नाम एव पते) (बांट,माप, तौल या मापक उपकरण के प्रकार का विवरण दर्शित है जिसके पक्षकार द्वारा निर्माण के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना है) के ....निर्माण के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
2. पंजीयन उपर्युक्त नामित पक्षकार के लिए उसके पते पर स्थित कार्यशाला के संबंध में विधिमान्य है...
3. यदि कार्यालय का पता कार्यशाला के पते से भिन्न हो..
4. विनिर्माता नीचे दी गई शर्तो का पालन करेगा । यदि वह इनमें से किसी भी एक शर्त के पालन करने में असफल रहता हैं तो उसका पंजीयन निरस्त होने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

मुहर

QR Code

हस्ताक्षर

नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान
छत्तीसगढ़ शासन

स्थानः-

दिनांकः-

पंजीयन प्रमाणपत्र की शर्तें:

व्यक्ति जिसके पक्ष में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया गया है:–

(क)तत्समय प्रवृत्त अधिनियम तथा नियम के समस्त सुसंगत उपबंधों का पालन करेगा।

(ख)समय-समय पर संशोधित अधिनियम या नियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित और अभिव्यक्त नहीं करेगा।

(ग) पंजीयन प्रमाणपत्र को उस परिसर जिससे यह संबंधित है, के सहज दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

(घ) नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशिष्ट निर्देशों का पालन करेगा।

(ङ) व्यापार समाप्त करने तथा/या पंजीयन के निरस्त होने की स्थिति में, पंजीयन प्रमाणपत्र को समर्पित करेगा।

(च) राज्य के भीतर उपयोग हेतु आशयित प्रत्येक बांट या माप उपकरण को विक्रय के पूर्व नियम 15 के उप-नियम (1) या (8) के अनुसार सत्यापन और मुद्रांकन किए जाने हेतु प्रस्तुत करेगा।

(छ) संस्था या योग्य व्यक्तियों में कोई भी परिवर्तन होने पर, पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को एक माह के भीतर सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ज) विनिर्माता पंजीयन प्रमाणपत्र जारी होने के उपरांत, स्वयं या उसके द्वारा काम पर रखे गए कर्मचारी का "योग्य व्यक्ति" होना अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण : "योग्य व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (जिसमें भौतिकी एक विषय हो) अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक हो या जिसके पास अभियांत्रिकी अथवा आई.टी.आई. ट्रेड में या समकक्ष पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा हो।

प्ररूप LMR-2
छत्तीसगढ़ शासन
कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान
विक्रेता के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीयन क्रमांक .... वर्ष......................................

1. नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, एतद् द्वारा ....को (पक्षकार या पक्षकारों के नाम एवं पते) (बांट, माप, तौल या मापक उपकरण के प्रकार का विवरण दर्शित है जिसके पक्षकार द्वारा लिए पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना है) के .... विक्रय के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
2. पंजीयन उपर्युक्त नामित पक्षकार के पते पर स्थित कार्यशाला के संबंध में विधिमान्य है। ....
3. यदि कार्यालय का पता कार्यशाला के पते से भिन्न हो ....
4. विक्रेता नीचे दी गई शर्तों का पालन करेगा। यदि वह इनमें से किसी भी एक शर्त के पालन करने में असफल रहता है, तो उसका पंजीयन निरस्त होने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
5.

मुहर
हस्ताक्षर

QR Code

नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान
छत्तीसगढ़ शासन

स्थान : ....
दिनांक : ....

पंजीयन प्रमाणपत्र की शर्तें:

व्यक्ति जिसके पक्ष में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया गया है:–

(क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम तथा नियम के समस्त सुसंगत उपबंधों का पालन करेगा।

(ख) समय-समय पर संशोधित अधिनियम या नियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित और अभिव्यक्त नहीं करेगा।

(ग) पंजीयन प्रमाणपत्र को उस परिसर जिससे यह संबंधित है, सहज दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

(घ) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशिष्ट निर्देशों का पालन करेगा।

(ङ) व्यापार समाप्त करने तथा/या पंजीयन के निरस्त होने की स्थिति में पंजीयन प्रमाणपत्र को समर्पित करेगा।

(च) संस्था में कोई भी परिवर्तन होने पर पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को एक माह के भीतर सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

(छ) किसी असत्यापित एवं अमुद्रांकित/अमानक बाट-माप के विक्रय के लिए विक्रय या प्रस्ताव, संप्रदर्शन या कब्जा नहीं रखेगा।

प्ररूप LMR-3

छत्तीसगढ़ शासन

कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान

सुधारक के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीयन क्रमांक.................................... वर्ष..................................

1. नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, एतद्द्वारा ....को (पक्षकार या पक्षकारों के नाम एव पते) ....(बांट,माप, तौल या मापक उपकरण के प्रकार का विवरण दर्शित है जिसके पक्षकार द्वारा सुधार के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना है) के ....सुधार के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
2. पंजीयन उपरोक्त नामित पक्षकार के लिए उसके पते पर स्थित कार्यशाला के संबंध में विधिमान्य है.................
3. यदि कार्यालय का पता कार्यशाला के पते से भिन्न हो…………………………..
4. सुधारक नीचे दी गई शर्तो का पालन करेगा । यदि वह इनमें से किसी भी एक शर्त के पालन करने में असफल रहता हैं तो उसका पंजीयन निरस्त होने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. पक्षकार को नीचे दर्शाए क्षेत्र में बांट/माप उपकरणों के सुधार के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता

QR Code

मुहर
हस्ताक्षर

नियंत्रक,विधिक मापविज्ञान
छत्तीसगढ़ शासन

स्थानः-
दिनांकः-

पंजीयन प्रमाणपत्र की शर्तें:

व्यक्ति जिसके पक्ष में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया गया हैं:-

(क) तत्समय प्रवृत अधिनियम तथा नियम के समस्त सुसंगत उपबंधों का पालन करेगा।

(ख) समय-समय पर संशोधित अधिनियम या नियम के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित और अभिव्यक्त नहीं करेगा।

(ग) पंजीयन प्रमाणपत्र को उस परिसर के, जिससे यह संबंधित है, सहज दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

(घ) नियंत्रक विधिक माप विज्ञान द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशिष्ट निर्देशों का पालन करेगा।

(ङ) व्यापार समाप्त करने तथा/या पंजीयन के निरस्त होने की स्थिति में पंजीयन प्रमाण को समर्पित करेगा।

(च) संस्था या योग्य व्यक्तियों में कोई भी परिवर्तन होने पर अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकरण को एक माह के भीतर सूचित किया जाना अनिवार्य हैं।

(छ) सुधारक पंजीयन प्रमाणपत्र जारी होने के उपरांत स्वयं या उसके द्वारा काम पर रखे गये कर्मचारी का योग्य व्यक्ति होना अनिवार्य हैं।

स्पष्टीकरण-"योग्य व्यक्ति" से अभिप्रेत है, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (जिसमें भौतिकी एक विष्य हो), इंजीनियरिंग में स्नातक हो या जिसके पास इंजीनियरिंग या आई.टी.आई. ट्रेड में या समकक्ष कोर्स में मान्यता प्राप्त सस्थान से डिप्लोमा हों।

(ज) बांट या माप उपकरण, जैसी भी स्थिति हो, सम्यक सुधार पश्चात्, उपयोगकर्त्ता को देने के पूर्व, नियम 15 के उप-नियम (1) या (8) के अनुसार सत्यापन तथा मुद्रांकन किए जाने हेतु प्रस्तुत करेगा।

(झ) यदि बांट एवं माप उपकरण का, सम्यक सुधार/मरम्मत, उनकी सत्यापन की वैधता की समाप्ति की तिथि के पूर्व किया जाता है और जहाँ इस प्रक्रिया में मुहर मीट जाती है, अलग हो जाती है या टूट जाती है तो

उपयोगकर्ता को सुधार करने के पश्चात् वापस करने से पूर्व नियम 15 के उप-नियम (1) या (8) के अधीन पुन: सत्यापन और पुन: मुद्रांकन किये जाने के लिए प्रस्तुत करेगा।"

12. अनुसूची-तीन का लोप किया जाए।

13. अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"अनुसूची-चार

(नियम 11(3) देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

कार्यालय नियंत्रक ,विधिक मापविज्ञान

बांट एवं माप के विनिर्माता, सुधारक अथवा विक्रेता हेतु पंजीयन शुल्क

स.क्र.	**श्रेणी**	**पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु शुल्क (रूपये में)**
(1)	(2)	(3)
1.	विनिर्माता	₹50,000
2.	सुधारक	
	(क) राज्य स्तर	₹20,000
	(ख) संभाग स्तर	₹ 20,000
	(ग) जिला स्तर	₹ 20,000
3.	विक्रेता	₹ 10,000

पंजीयन प्रमाणपत्र में संशोधन अथवा अतिरिक्त प्रविष्टि हेतु शुल्क

स.क्र.	**श्रेणी**	**पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु शुल्क (रूपये में)**
(1)	(2)	(3)
1.	विनिर्माता	₹ 1,000
2.	सुधारक	
	(क) राज्य स्तर	₹ 1,000
	(ख) संभाग स्तर	₹ 1,000
	(ग) जिला स्तर	₹1,000
3.	विक्रेता	₹ 1,000"

14. अनुसूची-पाँच एवं छ: का लोप किया जाये।

15. अनुसूची-सात के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"अनुसूची-सात

(नियम 13 देखिये)

प्ररूप LMR-4

बांट तथा माप विनिर्माता द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

1. विनिर्माता का नाम और पता : ....
2. बांट एवं माप का विवरण : ....
3. (एक) निर्दिष्ट पंजीयन प्रमाणपत्र क्रमांक : ....

स.क्र.	माह	विगत माह में शेष विक्रय स्टॉक	माह में निर्मित मात्रा	योग (3+4)	राज्य के भीतर विक्रय		राज्य के बाहर विक्रय			कुल विक्रय (6+9)	अतिशेष (5-11)	टिप्पणियाँ
					विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या	जावक वाउचर क्रमांक एवं दिनांक	राज्य का नाम	विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या	जावक वाउचर क्रमांक एवं दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

(दो) पंजीयन प्रमाणपत्र जारी दिनांक: ....

4. पंजीयन निरस्त करने सम्बंधित आदेश का विवरण ,यदि कोई हो: ....

प्ररूप LMR-5

बांट तथा माप सुधारक द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

1. सुधारक का नाम और पता: ....
2. पंजीयन प्रमाणपत्र क्रमांक एवं जारी दिनांक: ....

स.क्र.	दिनांक	उपयोगकर्ता का नाम जिससे प्राप्त हुआ	सुधार हेतु दर्ज की गई वस्तुए तथा उनकी संख्या	उपयोगकर्ता को जारी रसीद क्रमांक तथा दिनांक	सुधार प्रभार की राशि	सत्यापन शुल्क की राशि	कुल प्रभारित राशि	उपयोगकर्ता को लौटने का दिनांक	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्ररूप LMR-6

बांट तथा माप विक्रेता द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

1. विक्रेता का नाम और पता : ....
2. बांट- माप का विवरण : ....
3. (तीन) निर्दिष्ट पंजीयन प्रमाणपत्र क्रमांक : ....
   (चार) पंजीयन प्रमाणपत्र जारी दिनांक: ....
4. पंजीयन निरस्त करने सम्बंधित आदेश का विवरण ,यदि कोई हो : ....
5. बांट एवं माप का प्रवर्ग: ....

स. क्र.	माह	विगत माह में शेष स्टॉक	माह में राज्य के भीतर क्रय	माह में राज्य के बाहर से क्रय	योग (3+4+5)	राज्य के भीतर विक्रय		राज्य के बाहर विक्रय			कुल विक्रय (7 +10)	अतिशेष (6-12)	टिप्पणियाँ"
						विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या	जावक/ वाउचर क्रमांक एवं दिनांक	राज्य का नाम	विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या	जावक/ वाउचर क्रमांक एवं दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

16. अनुसूची-नौ के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये,अर्थात्:-

''अनुसूची-नौ

{नियम 17(1) देखिए}

बांट एवं माप के सत्यापित एवं मुद्रांकित किये जाने हेतु देय शुल्क

1. (क) बुलियन बांट:

अभिधान	**शुल्क प्रति नग (रूपये में)**
(1)	(2)
10 कि.ग्रा.	60
5 कि.ग्रा.	40
2 कि.ग्रा.	40
1 कि.ग्रा.	40

500 ग्राम	40
200 ग्राम	40
100 ग्राम	40
50 ग्राम	40
20 ग्राम	40
10 ग्राम	40
5 ग्राम	40
2 ग्राम	40
1 ग्राम	40

(ख) कैरेट बांट:

अभिधान	शुल्क प्रति नग (रूपये में)
(1)	(2)
100 ग्राम (500 कैरेट)	30
40 ग्राम (200 कैरेट)	30
20 ग्राम (100 कैरेट)	30
10 ग्राम (50 कैरेट)	30
4 ग्राम (20 कैरेट)	30
2 ग्राम (10 कैरेट)	30
1 ग्राम (5 कैरेट)	30
400 मि.ग्रा. (2 कैरेट)	30
200 मि.ग्रा. (1 कैरेट)	30
100 मि.ग्रा. (0.5 कैरेट)	30
40 मि.ग्रा. (0.02 कैरेट)	30
20 मि.ग्रा. (0.01 कैरेट)	30
10 मि.ग्रा. (0.05 कैरेट)	30
4 मि.ग्रा. (0.02 कैरेट)	30
2 मि.ग्रा. (0.01 कैरेट)	30
1 मि.ग्रा. (0.005 कैरेट)	30

(ग) बेलनाकार बांट:

अभिधान	शुल्क प्रति नग (रूपये में)
(1)	(2)
10 कि.ग्रा.	30
5 कि.ग्रा.	30
2 कि.ग्रा.	20
1 कि.ग्रा.	15
500 ग्राम	10
200 ग्राम	10
100 ग्राम	10
50 ग्राम	10
20 ग्राम	10

10 ग्राम	10
5 ग्राम	10
2 ग्राम	10
1 ग्राम	10

(घ) **शीट मेटल बांट (बुलियन से भिन्न):**

अभिधान	**शुल्क प्रति नग (रूपये में)**
(1)	(2)
500 मिलीग्राम	10
200 मिलीग्राम	10
100 मिलीग्राम	10
50 मिलीग्राम	10
20 मिलीग्राम	10
10 मिलीग्राम	10
5 मिलीग्राम	10
2 मिलीग्राम	10
1 मिलीग्राम	10

(ड) लौह षट्कोणीय, बेलनाकार बांट तथा समानांतर नलीय बांट:

अभिधान	**शुल्क प्रति नग (रूपये में)**
(1)	(2)
50 कि.ग्रा.	50
20 कि.ग्रा.	40
10 कि.ग्रा.	40
5 कि.ग्रा.	40
2 कि.ग्रा.	20
1 कि.ग्रा.	20
500 ग्राम	10
200 ग्राम	10
100 ग्राम	10
50 ग्राम	10
20 ग्राम	10
10 ग्राम	10
5 ग्राम	10
2 ग्राम	10
1 ग्राम	10

(च) उच्च क्षमता तौल मशीन की जांच हेतु मानक बांट:

अभिधान	अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से संबंधित तत्संबंधी शुल्क **0.5/10000 .₹ में**	अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से संबंधित तत्संबंधी शुल्क **3.3/10000.₹ ,1.7/10000 .₹ और1.0 /10000 .₹ में**
(1)	(2)	(3)
100 कि.ग्रा.	200	200
200 कि.ग्रा.	300	300
500 कि.ग्रा.	500	500
1000 कि.ग्रा.	1000	1000
2000 कि.ग्रा.	2000	2000
5000 कि.ग्रा.	5000	5000

2. **क्षमता मापक:-**

अभिधान	शुल्क प्रति नग (रूपये में)
(1)	(2)
100 लीटर और अधिक	प्रथम 100 ली .के लिए 200 .₹ प्रत्येक अतिरिक्त 100 ली . या उसके भाग के लिए 20 .₹ अधिकतम 50000 .₹ के अध्यधीन
50 लीटर	150
20 लीटर	60
10 लीटर	60
5 लीटर	60
2 लीटर	40
1 लीटर	30
500 मि.ली.	30
200 मि.ली.	30
100 मि.ली.	30
50 मि.ली.	20
20 मि.ली.	20
10 मि.ली.	20
5 मि.ली.	20
2 मि.ली.	20
1 मि.ली.	20

3. **लंबाई मापक:-**

(क) अपरिवर्तनीय:

अभिधान	शुल्क प्रति नग (रूपये में)
(1)	(2)
2 मीटर	30
1 मीटर	30
0.5 मीटर	30
1 मी .अंशित) प्रत्येक से.मी .पर(	50
0.5 मी .अंशित) प्रत्येक से.मी .पर(	50

(ख) फेब्रिक प्लास्टिक/बुना हुआ/स्टील टेप:

यथार्थता वर्ग	शुल्क प्रति नग (रूपये में)
(1)	(2)
यथार्थता वर्ग -एक	20
यथार्थता वर्ग -दो	10
यथार्थता वर्ग -तीन	10

(ग) फोल्डिंग स्केल:

अभिधान	शुल्क प्रति नग (रूपये में)
(1)	(2)
1 मीटर	30
0.5 मीटर	30

(घ) सर्वेक्षण चेन:

अभिधान	शुल्क प्रति नग (रूपये में)
(1)	(2)
30 मीटर	250
20 मीटर	250

4. बीम स्केल श्रेणी-क एवं ख:-

अभिधान	शुल्क प्रति नग (रूपये में)
(1)	(2)
200 कि.ग्रा.	600
100 कि.ग्रा.	500
50 कि.ग्रा.	400
20 कि.ग्रा.	300
10 कि.ग्रा.	250
5 कि.ग्रा.	200
2 कि.ग्रा.	200
1 कि.ग्रा.	200
500 ग्रा .और उससे कम	150

5. बीम स्केल श्रेणी-ग एवं घ:-

अभिधान	शुल्क प्रति नग (रूपये में)
(1)	(2)
1000 कि.ग्रा.	600
500 कि.ग्रा.	350
300 कि.ग्रा.	350
200 कि.ग्रा.	250
100 कि.ग्रा.	250
50 कि.ग्रा.	150
20 कि.ग्रा.	40
10 कि.ग्रा.	40
5 कि.ग्रा.	40
2 कि.ग्रा.	30
1 कि.ग्रा.	30
500 ग्रा .और उससे कम	30

6. गैर स्वचालित तौल उपकरण-यांत्रिकी वर्ग-तीन और चार:-

क्षमता	शुल्क (रूपये में
(1)	(2)
400 टन	5000
300 टन	4000
200 टन	4000
150 टन	3000
100 टन	3000
80 टन	3000
60 टन	3000

50 टन	3000
40 टन	2500
30 टन	2500
25 टन	2500
20 टन	2000
15 टन	2000
10 टन	1200
5 टन	600
3 टन	500
2 टन	500
1500 कि.ग्रा.	350
1000 कि.ग्रा.	350
500 कि.ग्रा.	350
300 कि.ग्रा.	250
250 कि.ग्रा.	250
200 कि.ग्रा.	200
150 कि.ग्रा.	150
100 कि.ग्रा.	150
50 कि.ग्रा.	130
30 कि.ग्रा.	100
25 कि.ग्रा.	80
20 कि.ग्रा.	80
15 कि.ग्रा.	40
10 कि.ग्रा.	40
5 कि.ग्रा.	40
3 कि.ग्रा.	40
2 कि.ग्रा.	40
1 कि.ग्रा.	20
500 ग्रा .और उससे कम	20

7. गैर स्वचालित तौल उपकरण-इलेक्ट्रॉनिक वर्ग-तीन और चार:-

क्षमता	**शुल्क (रूपये में)**
(1)	(2)
400 टन	5000
300 टन	5000
200 टन	5000
150 टन	5000
100 टन	4000
80 टन	4000
60 टन	4000
50 टन	4000
40 टन	4000
30 टन	3000
25 टन	3000
20 टन	3000
15 टन	3000
10 टन	2000
5 टन	2000
3 टन	1000
2 टन	800

1500 कि.ग्रा.	500
1000 कि.ग्रा.	500
500 कि.ग्रा.	450
300 कि.ग्रा.	350
250 कि.ग्रा.	350
200 कि.ग्रा.	350
150 कि.ग्रा.	300
100 कि.ग्रा.	300
50 कि.ग्रा.	250
30 कि.ग्रा.	250
25 कि.ग्रा.	250
20 कि.ग्रा.	200
15 कि.ग्रा.	200
10 कि.ग्रा.	200
5 कि.ग्रा.	200
3 कि.ग्रा.	200
2 कि.ग्रा.	200
1 कि.ग्रा.	200
500 ग्रा .और उससे कम	200

8. गैर स्वचालित तौल उपकरण-इलेक्ट्रांनिक एवं मशीनरी वर्ग-एक तथा दो:-

क्षमता	**शुल्क(रूपये में)**
(1)	(2)
10 टन से अधिक	5000
1 टन से अधिक किन्तु 10 टन से अनधिक	4000
50 कि.ग्रा से अधिक किन्तु 1 टन से अनधिक	1500
10 कि.ग्रा से अधिक किन्तु 50 कि.ग्रा से अनधिक	500
10 किग्रा .से अनधिक	400

9. स्वचालित तौल उपकरण:-

क्षमता	**शुल्क (रूपये में)**
(1)	(2)
100 टन से अधिक	5000
50 टन से अधिक किन्तु 100 टन से अनधिक	4000
10 टन से अधिक किन्तु 50 टन से अनधिक	3000
1 टन से अधिक किन्तु 10 टन से अनधिक	2000
50 कि.ग्रा से अधिक किन्तु 1 टन से अनधिक	1500
10 कि.ग्रा से अधिक किन्तु 50 कि.ग्रा से अनधिक	1000
10 किग्रा .से अनधिक	500

10. आयतन मापक उपकरण:-

(क) डिस्पेसिंग पम्प प्रति नोजल	5000₹ में

(ख) अन्य उपकरण

क्षमता	**शुल्क (रूपये में)**
(1)	(2)
100 लीटर से अधिक	प्रथम 100 लीटर के लिए 500 +.₹ प्रत्येक अतिरिक्त 100 ली .या उसके भाग के लिये 250 .₹
50 ली .से अधिक किन्तु 100 ली .से अनधिक	500
20 ली .से अधिक किन्तु 50 ली .से अनधिक	250
20 लीटर से अनधिक	200

11. फ्लो मीटर:-

क्षमता	शुल्क(₹)
(1)	(2)
फ्लो रेट 100 लीटर प्रति मिनट तक	4000
100 लीटर प्रति मिनट से अधिक पर किंतु 500 लीटर प्रति मिनट तक	5000
500 लीटर प्रति मिनट से अधिक	5000

12.

रेखीय मापक यंत्र	शुल्क (रूपये में)
(1)	(2)
टैक्सी, ऑटो रिक्शा मीटर	250 ₹पये
अन्य मीटर	प्रथम 1000 मीटर या उसके भाग के लिए रू .250 **₹**. + प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए रू . 20

13.

चिकित्सकीय तापमापी	20 ₹पये प्रति इकाई

14.

जलमापी	शुल्क (रूपये में)
(1)	(2)
घरेलू	150.00 ₹ प्रति इकाई
वाणिज्यिक	500.00 ₹ प्रति इकाई
औद्योगिक	1000.00 ₹ प्रति इकाई

15.

पेग मापक	शुल्क (रूपये में)
(1)	(2)
30 मिली.	500
60 मिली.	500
100 मिली.	500

16.

सी .एन .जी .डिस्पेंसर्स	8000 ₹ प्रति इकाई
एल .पी .जी .डिस्पेंसर्स	8000 ₹ प्रति इकाई

17. काउन्टर मशीन:-

क्षमता	शुल्क (रूपये में)
(1)	(2)
10 किलोग्राम तक	50
10 किलोग्राम से अधिक	100

18. स्वचालित ग्रेविमीट्रीक फिलिंग उपकरण (मिली या लीटर या इनके गुणज में भी)

क्षमता	शुल्क (रूपये में)
(1)	(2)
15 किलोग्राम से अधिक	1000 .₹ प्रति लोड रिसेप्टर
10 किलोग्राम से अधिक किन्तु 15 किलोग्राम से अनधिक	500 .₹ प्रति लोड रिसेप्टर
1 किलोग्राम से अधिक किन्तु 10 किलोग्राम से अनधिक	400 .₹ प्रति लोड रिसेप्टर
500 ग्राम से अधिक किन्तु 1 किलोग्राम से अनधिक	300 .₹ प्रति लोड रिसेप्टर

300 ग्राम से अधिक किन्तु 500 ग्राम से अनधिक	300 .₹ प्रति लोड रिसेप्टर
200 ग्राम से अधिक किन्तु 300 ग्राम से अनधिक	200 .₹ प्रति लोड रिसेप्टर
100 ग्राम से अधिक किन्तु 200 ग्राम से अनधिक	200 .₹ प्रति लोड रिसेप्टर
50 ग्राम से अधिक किन्तु 100 ग्राम से अनधिक	200 .₹ प्रति लोड रिसेप्टर
50 ग्राम से अनधिक	200 .₹ प्रति लोड रिसेप्टर

19.

डिस्कंटिनियस टोटलाइजिंग स्वचालित तौल यंत्र	5000 ₹पयेप्रति लोड रिसेप्टर
स्वचालित रेल/ रोड वेब्रिज	5000 ₹पये प्रति लोड रिसेप्टर

20.

गैस मीटर	**शुल्क (रूपये में)**
(1)	(2)
घरेलू	200 ₹ प्रति इकाई
वाणिज्यिक	500 ₹ प्रति इकाई
औद्योगिक	1000 ₹ प्रति इकाई

21.

अनाज एवं तिलहन के लिए नमी मापक	500 ₹ प्रति इकाई
वाहनो की गति मापने हेतु रीडर उपकरण	3000 ₹ प्रति इकाई
श्वास विश्लेषक	2500 ₹ प्रति इकाई"

17. अनुसूची-ग्यारह के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"अनुसूची- ग्यारह

(नियम 27 देखिये)

विभिन्न अपराधों के लिए शमन शुल्क

स.क्र.	धारा	अपराध की प्रकृति	दण्ड धारा	शमन राशि (रूपये में)
1.	धारा 8(3)	मानक बांट, माप या संख्या से भिन्न बांट,माप या संख्या का उपयोग	25	1.प्रथम अपराध - सुधार सूचना 2.द्वितीय अपराध - ₹1,000 से 1,00,000 तक 3. तृतीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹2,00,000 से 5,00,000
2.	धारा 26	मानक बांट एवं माप में परिवर्तन	26	1.प्रथम अपराध -₹2,000 से 50,000 2.द्वितीय अपराध एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹50,000 से 1,00,000
3.	धारा8(4)	बांटया माप का निर्माण या विक्रय जो मानकों के अनुरूप न हो	27	1.प्रथम अपराध - सुधार सूचना 2.द्वितीय अपराध ₹10,000 से 1,00,000 तक 3. तृतीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹2,00,000 से 4,00,000
4.	धारा10	बांट, माप या संख्या द्वारा माल इत्यादि के संबंध में संव्यवहार या व्यापार या संविदा से विहित	28	1.प्रथम अपराध - सुधार सूचना 2.द्वितीय अपराध- ₹5,000 से 50,000 तक 3. तृतीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹1,00,000 से 2,00,000 तक
5.	धारा 11	मानक बांट,माप या संख्यात्मक इकाइयों के मूल्य उद्धरण आदि का निषेध।	29	1.प्रथम अपराध - सुधार सूचना 2.द्वितीय अपराध-₹ 5,000 से 50,000 तक 3. तृतीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए - ₹1,00,000 से 2,00,000 तक
6.	धारा 12	मानक बांट ,माप या अंक के प्रतिकूल किसी रूढ़ी ,प्रथा आदि का शून्य होना.	30	1.प्रथम अपराध -₹1,000 से 10,000 तक 2.द्वितीय अपराध एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹10,000 से 20,000 तक

7.	**धारा 17**	विनिर्माता, विक्रेता या सुधारक द्वारा अभिलेखों एवं रजिस्टरों का रख रखाव तथा मांग किये जाने पर अभिलेखों एवं रजिस्टरों का प्रस्तुत करना	31	1.प्रथम अपराध - सुधार सूचना 2.द्वितीय अपराध ₹5,000 से 25,000 तक 3. तृतीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹50,000 से 1,00,000 तक
8.	**धारा 18(1)**	विनिर्माता /**व्यापारी द्वारा पूर्व से पैक वस्तु के संबंध में घोषणा का पालन**	36 (1)	1.प्रथम अपराध - सुधार सूचना 2.द्वितीय अपराध- ₹50,000 से 5,00,000 तक 3. तृतीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹25,00,000 से 50,00,000 तक
9.	**धारा18(1)**	विनिर्माता **द्वारा पूर्व से पैक वस्तु के संबंध में घोषणा का पालन**	36 (2)	1.प्रथम अपराध -₹10,000 से 1,00,000 तक 2.द्वितीय अपराध-₹1,00,000 से 50,00,000 तक
10.	**धारा23**	बांट **या माप का निर्माण केवल पंजीयन के द्वारा**	45	1.प्रथम अपराध - सुधार सूचना 2.द्वितीय अपराध-₹5,000 से 20,000 तक 3. तृतीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹2,00,000 से5,00,000 तक
11.	**धारा 23**	बांट **या माप का सुधार/विक्रय केवल पंजीयन द्वारा**	46	1.प्रथम अपराध - सुधार सूचना 2.द्वितीय अपराध-₹1,000 से 5,000 तक 3. तृतीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹2,00,000 से5,00,000 तक
12.	**धारा 24**	**संव्यवहार या संरक्षण में सत्यापित बांट एवं माप का उपयोग**	33	1.प्रथम अपराध -₹2,000 से 10,000 तक
13.	**धारा 34**	**अमानक** बांट, **माप या अंक के द्वारा वस्तुओं आदि का विक्रय या पूर्ति**	34	1.प्रथम अपराध - सुधार सूचना 2.द्वितीय अपराध-₹5,000 से 25,000 तक 3. तृतीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹50,000 से 1,00,000 तक
14.	**धारा 35**	**अमानक** बांट **या माप या अंक के द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति**	35	1.प्रथम अपराध - सुधार सूचना 2.द्वितीय अपराध - ₹5,000 से 25,000 तक

				3. तृतीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹50,000 से 1,00,000 तक
15.	**धारा 37(1)**	**सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा उल्लंघन**	37(1)	₹ 50,000 से 1,00,000
16.	**धारा 41**	**मिथ्या जानकारी या विवरणी देने के लिए शास्ति**	41	1.प्रथम अपराध - सुधार सूचना 2.द्वितीय अपराध- ₹1,000 से 5,000 तक 3. तृतीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹2,00,000 से 5,00,000 तक
17.	**धारा 47**	**पंजीयन प्रमाणपत्र में अनाधिकृत परिवर्तन करना**	47	1.प्रथम अपराध - सुधार सूचना 2.द्वितीय अपराध- ₹5,000 से 25,000 तक 3. तृतीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए -₹2,00,000 से 5,00,000 तक
18.	**धारा 53(3)**	**अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किसी नियम के उपबन्ध**	53 (3)	₹ 2,000 से 1,00,000 तक"

18. अनुसूची-**ग्यारह के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-**

"अनुसूची-बारह
(नियम 27(3) देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
कार्यालय नियंत्रक/ विधिक मापविज्ञान अधिकारी

कार्यालयीन पता ---

सुधार सूचना

(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 की उप-धारा(6) के अधीन)
(ऑनलाईन माध्यम से प्रेषित, पावती की अभिस्वीकृति नहीं होगी)

सुधार सूचना क्रमांक: _________ मोबाइल नंबर _________ दिनांक: _________

प्रति,

____
____

विषय: विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15(6) के अंतर्गत सुधार सूचना।

यत:, उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि दिनांक _________ को आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान पता: .... के परिसर में बांट एवं माप, पैक बंद वस्तु, पंजीयन संबंधी अन्य विषय एवं अन्य विविध विषयों के संबंध में निरीक्षण का विवरण निम्नानुसार है -

स.क्र.	निरीक्षण का विवरण	अधिनियम/ नियमों के प्रावधान जिनका उल्लंघन हुआ है
1.		
2.		

उपरोक्त जाँच के आधार पर पाई गई त्रुटियों का निराकरण निम्नानुसार किया जाये -

....

....

पाई गई त्रुटियों के निराकरण होने तक संबंधित बांट माप / पैक बंद वस्तुओं इत्यादि का संव्यवहार /संरक्षण में उपयोग ना करें।

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि जब तक पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को विधिवत रूप से ठीक नहीं कर दिया जाता, तब तक संबंधित बांट एवं माप उपकरणों का उपयोग वस्तुओं आदि के लेन-देन, व्यापार या अभिरक्षा के लिए नहीं किया जाये। यथास्थिति, इस कार्यवाही में अभियोजन, अपराध का शमन तथा लाइसेंस/पंजीयन/अनुमोदन का निलंबन अथवा निरस्तीकरण शामिल हो सकता है। इसे प्रथम एवं अंतिम सुधार सूचना समझा जावे।

अतःआपको निर्देशित किया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर उपर्युक्त सभी अनियमितताओं को विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 एवं उसके अंतर्गत नियमों के अनुरूप आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करें।

QR Code

विधिक
मापविज्ञान अधिकारी

अनुसूची-तेरह

(नियम 27(3) देखिये)
छत्तीसगढ़ शासन
कार्यालय नियंत्रक/ विधिक मापविज्ञान अधिकारी

शमन सूचना
(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 48 के अंतर्गत शमन)

क्रमांक............................
दिनांक................

प्रति,

विषय - **विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 48** के अधीन अपराध के शमन बाबत्।

1. आपके द्वारा **विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009** तथा/या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान अर्थात् ______________________ का उल्लंघन किया गया है। आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने से पूर्व **विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 48** के अधीन उक्त अपराध का शमन कराने का अवसर प्रदान किया जाता है।
2. आप निम्नलिखित राशि का भुगतान करके राजीनामा कर सकते हैं:
   • **राजीनामा राशि:** ₹ [____]
   • **भुगतान का माध्यम:** [ऑनलाइन / ई-चालान के माध्यम से/ मनी रसीद के माध्यम से]
3. अत: सूचित है कि यदि आप उक्त अभियोजन का विभागीय स्तर पर शमन चाहते है तो इस पत्र प्राप्ति के सात कार्य दिवस के भीतर समस्त आवश्यक दस्तावेज सहित शमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में शमन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
4. संलग्नक (यदि कोई हों)

विधिक माप विज्ञान अधिकारी

अभियुक्त द्वारा भरे जाने वाला विकल्प:-

1. उपर्युक्त दर्ज प्रकरण क्रमांक ....के सन्दर्भ में निर्धारित राजीनामा शुल्क देने को सहमत हूँ।
2. उक्त प्रकरण के विरूद्ध नियंत्रक के समक्ष नियम 26 अंतर्गत अपील करना चाहता हूँ।
3. राजीनामा हेतु सहमत नहीं हूँ तथा प्रकरण सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में, स्वयं जिम्मेदार हूँ ।

अभियुक्त के हस्ताक्षर''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभोर अग्रवाल, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 3rd September 2026

NOTIFICATION

No. RULE-503/37/2026-FOOD.— In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), after consultation with the Government of India, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, the same having been previously published as required by sub-section (4) of Section 53 of the said Act, namely: -